

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 14 फरवरी, 2017

क्रमांक एफ 1-84/2016/सत्रह/एक :: राज्य शासन एतद्वारा सचालनालय, स्वास्थ्य सेवाये के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी.एस.) के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों पर आधारित चयन सूची तैयार करने के लिए दिनांक 03.12.2016 को पात्र उम्मीदवारों के परीक्षण हेतु सम्पादित की गई काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम 2012 में निहित प्रावधान अनुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नीचे उल्लेखित शर्तों के अधीन 02 वर्ष के लिए संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	पदस्थापना का स्थान
01	02	03	05	06	07
01	डॉ शिवम जायसवाल	श्री अशोक रतन जायसवाल	पुलिस लाईन के पास, अबिकापुर, जिला सरगुजा	अनारक्षित	सीएचसी लटोरी, जिला सूरजपुर
02	डॉ० फिरोज खान	श्री अजमल खान	तालपुरी, ब्लाक ए, गुलमोहर इनक्लेव, ब्लाक 6/124, भिलाई, जिला दुर्ग	अनारक्षित	सीएचसी मरवाही, जिला बिलासपुर
03	डॉ० अमित कुमार	श्री प्रेमानंद सुतार	सीनियर एमआईजी, सीजीएचबी, कॉलोनी, म. न. 446, कुम्हारी, जिला दुर्ग	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय दुर्ग
04	डॉ० पूनम साहू	श्री कृष्णा कुमार साहू	विजयपुरम कॉलोनी, सीपत रोड, जिला बिलासपुर	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय दुर्ग
05	डॉ० पंकज वर्मा	श्री राजेन्द्र वर्मा	पचपेडी नाका, नवजीत सोसायटी, जिला रायपुर	अनारक्षित	सामु० स्वा० केन्द्र अम्बागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव
06	डॉ० गुलशन कुमार सिदार	श्री मदन लाल सिदार	ग्राम छुहीपाली, पोस्ट पटेलपाली, जिला रायगढ़	अ.ज.जा	सामु०स्वा०केन्द्र० तमनार, जिला रायगढ़
07	डॉ० जूनैद मलिक	श्री मुस्ताक मलिक	ग्राम लोहरी, पो. मरवाही, जिला बिलासपुर	अनारक्षित	सामु०स्वा०केन्द्र० मरवाही, जिला बिलासपुर

W. Jaiswal

निरंतर.....2


2/ संविदा नियुक्ति की शर्तें :-

01. चिकित्सा अधिकारी (एम0बी0बी0एस0 योग्यता धारी) संविदा नियुक्ति पर एकमुश्त देय राशि :- सामान्य क्षेत्र अंतर्गत 35000/- अनुसूचित क्षेत्र की संस्थाओं में 40000+ उसके अतिरिक्त सी.आर.एम.सी. के तहत कमशः चिन्हित-कठिन क्षेत्र के लिए रूपये 20000/- कठिनतम क्षेत्र के लिए रूपये 25000/- तथा पहुंच विहिन संस्थाओं में कार्य करने पर रूपये 30000/- मासिक राशि एकमुश्त संविदा राशि के अतिरिक्त देय होगी।
02. पोस्टग्रेजुवेट पी.जी. डिग्री डिप्लोमा धारी अभ्यार्थी को संविदा नियुक्ति पर एकमुश्त देय राशि :- सामान्य क्षेत्र अंतर्गत 35280/- अनुसूचित क्षेत्र की संस्थाओं में 40000+ उसके अतिरिक्त सी.आर.एम.सी. के तहत कमशः चिन्हित-कठिन क्षेत्र के लिए रूपये 25000/- कठिनतम क्षेत्र के लिए रूपये 35000/- तथा पहुंच विहिन संस्थाओं में कार्य करने पर रूपये 30000/- मासिक राशि एकमुश्त संविदा राशि के अतिरिक्त देय होगी।
- 03 इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत नियंत्रित व शासित होंगे।
04. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारी को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है, उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
05. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
06. उक्त संविदा नियुक्त चिकित्सक को संविदा नियुक्ति नियम अनुसार अवकाश की पात्रता होगी।
07. इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई भी चिकित्सक निजी प्रेक्टिस नहीं कर सकेंगे। उन्हें कोई अन्य नॉन प्रेक्टिस भत्ता (एन.पी.ए.) देय नहीं होगा।
08. उपरोक्त चिकित्सक को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा एवं इसकी लिखित सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में देना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्र की जांच की जावेगी एवं तदनुसार आवश्यकता अनुरूप संचालनालय को एकजाई उपस्थिति प्रतिवेदन तैयार कर संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को तथा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 20 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
09. उपस्थिति के एक माह के अंदर जिले के मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. उपस्थिति उपरांत निवास थाना से चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुलिस सत्यापन में दोषी पाए जाने पर संविदा नियुक्त चिकित्सक की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

Ujanka

11. सविदा नियुक्त चिकित्सक को निर्धारित उत्तरदायित्व का पालन करना अनिवार्य होगा तथा स्थानीय चिकित्सालय में चिकित्सकीय सेवायें देना, मेडिकल लीगल प्रकरणों की जांच कर प्रतिवेदन देना, पोस्ट मार्टम करना, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में विशेष ध्यान देना इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य जो समय-समय पर जिला नियंत्रण अधिकारियों एवं राज्य शासन के अधिकारियों अथवा उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे जाए उन्हें संपादित करना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल.ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


पृ. क्रमांक: एफ 1-84/2016/सत्रह/एक
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर दिनांक 14 फरवरी, 2017

01. विशेष सहायक, मान. स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़।
02. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
03. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ (छत्तीसगढ़)।
04. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर, छत्तीसगढ़।
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सूरजपुर/बिलासपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/रायगढ़, छत्तीसगढ़।
06. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सूरजपुर/बिलासपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/रायगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि आप संबंधित चिकित्सा अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में "अनुप्रमाणन पत्र" 3 प्रतियों में तैयार कराते हुए एक प्रति छत्तीसगढ़ पुलिस महानिरीक्षक एवं एक प्रति संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजकर नियुक्त चिकित्सकों का पुलिस सत्यापन हेतु आगामी आवश्यक कार्यवाही की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
07. कोषालय अधिकारी, जिला सूरजपुर/बिलासपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. संबंधित चिकित्सा अधिकारी.....

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

09. आदेश नस्ती।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

JKK